राष्ट्रीय जल नीति

जनता के सुझाव

तरुण भारत संघ

भीकमपुरा, थानागाजी, अलवर, राजस्थान- 301 022

प्रस्तावना

भारत सरकार नई जल नीति लागू करने का अपना संकल्प पूरा करने हेतु तैयार है। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। इस हेतु 1998 से जल नीति प्रारूप बनाने का काम शुरू हुआ था। यह प्रारूप वर्ष भर पहले तैयार हो चुका है लेकिन इस पर आज तक व्यापक जन संवाद सरकारी तौर पर शुरू नहीं हुआ है।

तरुण भारत संघ इस नीति निर्माण की प्रक्रिया पर आरम्भ से ही ध्यान रखे हुए था। इसलिए ही जल नीति का सरकारी प्रारूप प्राप्त करके इस पर देशभर में अपने सीमित साधनों से एक बहस चलाई। देशभर के विभिन्न बारह स्थानों पर क्षेत्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। इन संगोष्ठियों के निर्णयों के अनुसार जल नीति के प्रारूप पर तरुण भारत संघ ने भारत सरकार को सुझाव दिये।

भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने इन सुझावों पर अपनी टिप्पणी दी है। सरकार की इन टिप्पणियों पर 29-30 मई को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ इसमें भारत सरकार की जल संसाधन राज्य मंत्री भागीदार रही। सम्मेलन से निकले सुझाव 31 मई को योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में कपार्ट कार्यालय, नई दिल्ली में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखे। इस नीति की कमियों को समझकर योजना आयोग के सचिव ने इस हेतु एक बहु-मंत्रालय समिति गठित करके इन सुझावों को जल नीति प्रारूप में शामिल करने का आश्वासन दिया। इस कार्य में कपार्ट के महानिदेशक श्री रंगनदत्ता जी का भी पूरा सहयोग हमें मिला है।

इस प्रक्रिया में जनता की जिन मुद्दों पर सहमति बनी है, उन्हें इस पुस्तिका में प्रकाशित करके जल नीति को प्रकृति एवं जनहित में बनवाने हेतु आपसे जुड़ने का आग्रह है। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने राज्य के मुख्य मंत्री का जल नीति के प्रारूप की तरफ ध्यान आकर्षित करें, जिससे वे जल नीति में अपने राज्य हित की बातें शामिल करा सकें।

प्रत्येक मुख्य मंत्री राष्ट्रीय जल संसाधन समिति का सदस्य होता है। प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में जब यह बैठक होवे तो हमारे मुख्य मंत्री अपने राज्य हित में इस जल नीति प्रारूप पर जन संवाद शुरू कराने की मांग करें तथा इस पुस्तिका में जो सुझाव अच्छे लगें उन्हें भारत की भावी जल नीति में सम्मिलित करा सके तो अच्छा होगा।

हम इस जल नीति प्रारूप में सबसे गंभीर खामी राज्यों के जल अधिकारों की कमी मानते हैं। प्रस्तावित प्रारूप केवल बड़े-बड़े निर्माण तथा केन्द्रीय तन्त्र को ही अधिकारपूर्ण बनाने का प्रयास मात्र लगता है। यह प्रारूप गरीब को पीने के पानी से भी मोहताज करने वाला है। यह पानी का निजीकरण करके खास वर्ग को लाभ पहुंचाने का ही दस्तावेज है। पूरे दस्तावेज में गरीब हित संरक्षण की कहीं भी झलक नहीं मिलती।

समाज के सामलाती हितों की अनदेखी करके बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उद्योगों को बेरोक-टोक जल मिल सके ऐसी व्यवस्था इस जल नीति में की जा रही है। जल जीवन के लिए प्रकृति प्रदत्त नहीं मान कर, इस मूल्यवान जल से चन्द कम्पनियां मूल्य कमा सकें, ऐसा करने हेतु यह प्रारूप बना है।

जल से जीविकोपार्जन करने वाला समाज उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तरफ ताकता रहे जो यहां जल का बाजार खड़ा करने की योजना बना रही हैं। अतः हमारे समाज के साथ होने वाले इस धोखे को रोकने हेतु हम जागृत होकर अपनी संस्थाओं, राज्य सरकारों के माध्यम से या व्यक्तिशः अपने-अपने सुझाव भारत सरकार को भेजें, जिससे हमारे पूर्ण मानव समाज तथा जीव जगत् को सहज रूप से स्वच्छ ताजा जल उपलब्ध होता रहे।

सामलाती पानी का शोषण व प्रदूषण रोकने तथा जल संरक्षण करने वालों को प्रोत्साहन देने वाली जल नीति बनवाने के कार्य में हम सब मिलकर जुटें।

राजेन्द्र सिंह, महामंत्री
तरुण भारत संघ

भाग 1 : भूमिका

जल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जल भौतिक जीवन के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। हम इंद्र तथा वरुण देवताओं की पूजा करते हैं। ईश्वर द्वारा दी गई इस संपदा का सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी बनती है।

हम देश के जल का प्रबन्धन किस प्रकार से करें ? इस प्रश्न का खुलासा करने के लिए भारत सरकार ने 1987 में 'राष्ट्रीय जल नीति' की घोषणा की थी। जल हमारे जीवन से कई प्रकार से जुड़ा हुआ है। पीने के लिए तो हमें जल चाहिए ही, साथ-साथ खाद्यान्न उत्पादन, उद्योग, बिजली उत्पादन इत्यादि के लिए भी चाहिए। जल के स्रोत भी कई हैं और जल के उपयोग भी। अनेक विचारकों का मत है कि आने वाले समय में देशों के बीच युद्ध भूमि को लेकर नहीं बल्कि जल के विवाद पर हुआ करेंगे। इन सब विषयों पर समग्र दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए सरकार ने पहली जल नीति बनाई है।

1987 की जल नीति के बनने के 13 वर्ष बाद भी हम देखते हैं कि जल प्रबंधन संबंधी अनेक समस्याएं पूर्ववत् बनी हुई हैं। गुजरात तथा देश के अन्य हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ है। दूसरे स्थानों पर बाढ़ का प्रकोप आता ही रहता है। हमारी पवित्र नदियां दूषित हो चली हैं। बड़े बांधों के विस्थापितों को उचित मुआवजा नहीं मिला है । कुछ स्थानों पर जहां जनता ने अपने स्वयं के प्रयासों से जल संसाधनों को सुधारने का प्रयास किया है वहां सरकारी विभाग अड़ंगे लगाते हैं।

स्वैच्छिक संस्थाओं के ध्यानाकर्षण के बाद अब भारत सरकार ने भी महसूस किया कि 1987 की जल नीति में कुछ कमियां रह गई हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने वायदा किया था, कि जल प्रबंधन पर नई पहल की जाएगी। इसी तारतम्य में सरकार ने 'जल नीति प्रारूप 1998' बनाया। इस प्रारूप को राष्ट्रीय जल बोर्ड ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस बोर्ड के अध्यक्ष केन्द्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्य सचिव इसके सदस्य होते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को अधिकारियों की स्वीकृति मिल चुकी है। अगले तथा अंतिम चरण में इस प्रारूप पर राष्ट्रीय जल संसाधन समिति में विचार होना है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधान मंत्री तथा सभी मुख्य मंत्री सदस्य होते हैं। समिति द्वारा स्वीकार किये जाने पर इसे मान्यता मिल जाती है। ऐसा होने के बाद आशा की जाती है कि केन्द्र तथा सभी राज्य सरकारें जल का प्रबंधन नई नीति के अनुरूप ही करेंगे।

दुर्भाग्य यह रहा कि 'जल नीति प्रारूप 1998' पर राष्ट्रीय बहस नहीं हो सकी। वास्तव में केन्द्र सरकार ने इस दस्तावेज को गोपनीय रखा था। जनता के जीवन के अभिन्न अंग जल पर जनता की बात को सुनने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तरुण भारत संघ को जब पता लगा कि नई जल नीति निर्धारित की जा रही है तो येन केन प्रकारेण जल नीति के प्रारूप को हासिल किया गया।

तरुण भारत संघ ने प्रारूप का सरसरी तौर पर अध्ययन किया तो पाया कि नई नीति भी सरकार द्वारा उद्योगपतियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्राथमिकता के आधार पर ही बनाई गई है। इसमें जन भागीदारी का प्रावधान नहीं है। जिन विसंगतियों के कारण 1987 की जल नीति विफल रही उनमें से अधिकतर 1998 के प्रारूप में भी विद्यमान पाई गई। तरुण भारत संघ, रालेगांव सिद्धि अन्य स्थानों पर समाज ने अपने प्रयासों से जल संसाधनों का प्रबंधन किया है। इन प्रयासों को प्रारूप में मान्यता नहीं दी गयी है न ही उन्हें जल प्रबन्धन में स्वायत्तता देने की पहल की गई है। इस वस्तुस्थिति से निपटने के लिए तरुण भारत संघ ने तत्काल एक ज्ञापन केन्द्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के केबिनेट तथा राज्य मंत्रियों को दिया। साथ-साथ 29-30 मई, 2000 को स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जल पर कार्य करने वाले स्वतंत्र चिंतकों की एक गोष्ठी की गई। इस गोष्ठी में जल संसाधन मंत्रालय ने तरुण भारत संघ द्वारा दिये ज्ञापन पर अपने उत्तर भी प्रस्तुत किये।

जल संसाधनों का प्रबंधन देश के सम्पूर्ण राजनीतिक दर्शन से पृथक नहीं होता है अर्थात् जब तक देश की मूल राजनीतिक दिशा जनता की स्वायत्तता की ओर नहीं झुकेगी तब तक जल नीति में कुछ प्रावधान किये जाने से कोई विशेष अंतर पड़ने की आशा नहीं है फिर भी सरकारी नीतियों में थोड़ा अंतर पड़ सकता है जो हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा देश की सोच भी इसी प्रकार की वार्ता से बदलती है। इसलिए आवश्यक है कि जनता तथा सरकार इस विषय पर खुली बहस करे।

इस बहस को बढ़ाने के लिए तरुण भारत संघ ने केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें जनता के दृष्टिकोण से जल नीति प्रारूप 1998 में संशोधन सुझाए गए हैं। इस ज्ञापन को बनाते समय 29-30 मई को सम्पन्न हुई स्वयंसेवी संस्थाओं की सभा में दिये गये सुझावों को यथा संभव सम्मिलित किया गया है। सरकार को दिए गए ज्ञापन को दो हिस्सों में बांटा गया है : मुख्य संस्तुतियां तथा सामान्य संस्तुतियां। इन्हें आगे दिया जा रहा है।

भाग 2 : मुख्य संस्तुतियां

1.1 जल नीति का उद्देश्य

जल नीति प्रारूप में उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मूल भावना यह निकलती है कि मनुष्य अपने उपभोग को हासिल करने के लिए पृथ्वी, जल तथा अन्य प्राणियों का उपयोग ठीक तरह से करे। सृष्टि के केन्द्र में मनुष्य को रखा गया है और मनुष्य ने स्वयं को एक भोगी के रूप में देखा है।

हमारा सुझाव यह है कि मनुष्य के समग्र विकास को केन्द्र में रखना चाहिए न कि निरंतर बढ़ते उपभोग को। साथ-साथ मनुष्य को विशाल प्रकृति के एक अंग के रूप में देखना चाहिए। अपने भोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के स्थान पर मनुष्य को अपने जीवन को प्रकृति के अपने चक्र के अनुरूप ढालना चाहिए। मनुष्य प्रकृति का अंग है; प्रकृति मनुष्य का अंग नहीं। जल नीति का उद्देश्य होना चाहिए प्रकृति से तारतम्य बैठाते हुए मनुष्य के समग्र विकास में सहायक होना।

1.2 जनता का दृष्टिकोण

जल नीति की धारा 1.1 में कहा गया है कि जल प्रबंधन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किया जायेगा। समस्या यह है कि देश के शहरी संभ्रांत वर्गों का दृष्टिकोण उतना ही 'राष्ट्रीय' है जितना कि ग्रामीण किसानों का दृष्टिकोण। 'राष्ट्रीय' शब्द से इस बात का खुलासा नहीं होता कि राष्ट्र के अंदर विभिन्न वर्गों में किसके हितों को प्राथमिकता दी जायेगी।

हमारा सुझाव है कि जल प्रबंधन को 'जन-आधारित राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बाघ से चींटी तक के वन्य जीवों अर्थात् सम्पूर्ण जैव विविधता के संरक्षण सहित प्रकृति का सम्मान करते हुए' किया जाये।

जहां जनता ने जल का स्वायत्त प्रबंधन कर दिखाया है उन स्थानों पर सरकार की दखल बंद हो तथा जल प्रबंधन के सभी कानूनी अधिकार जनता को सौंप दिये जाएं। जलागम, नदी घाटी इत्यादि हर स्तर पर प्रयास होना चाहिए कि जनता की सहभागिता से जल प्रबंधन किया जाये।

1.3 खपत पर नियंत्रण

धारा 1.5 में जनता की बढ़ती जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जल उपलब्धता बढ़ाने का जिक्र है। हमारा सुझाव है कि जल की खपत को सीमित करने के लिए सांस्कृतिक तथा अन्य नीतियों पर भी समुचित ध्यान देना चाहिये। जल को केवल एक साधन के रूप में न देखकर प्रकृति के अभिन्न अंग के रूप में देखना चाहिए।

गांधी जी ने कहा था, कि पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी कर सकती है परन्तु लालच नहीं। मनुष्य को अपनी भौतिक आवश्यकताओं को भी सीमित करना चाहिए। इससे जल की मांग घटेगी और प्राकृतिक संतुलन बनेगा।

1.4 जल उपभोग की प्राथमिकताएं

धारा 5 में जल के उपभोग की प्राथमिकताएं निम्नवत् बताई गई हैं :

(1) पीने का पानी

(2) सिंचाई

(3) जल विद्युत्

(4) उद्योग

(5) नौसंचालन

पहली समस्या यह है कि पीने के पानी के नाम पर उपलब्ध कराए गए जल का कार धोने अथवा घास सींचने जैसे कार्यों में बहुत प्रयोग किया जाता है। हमारा सुझाव है कि 'पीने के पानी' के अंतर्गत केवल पीने के काम आने वाले पानी को या सार्वजनिक स्थानों (जैसे स्टैन्डपोस्ट) पर उपलब्ध कराए गए पानी को गिना जाये। व्यक्तिगत आपूर्ति को 'घरेलू' की एक पृथक श्रेणी में रखा जाये।

वर्तमान क्रम में 'जीविकोपार्जन' की श्रेणी नहीं है। छोटे किसान जो अपनी जीविका के लिए खाद्यान्न उत्पादन करते हैं तथा किसान जो लाभ कमाने की दृष्टि से गन्ना अथवा मिर्च उगाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं किया गया है। धोबी, मछुआरे तथा कुम्हार जैसे अनेक पेशे जल पर अपनी जीविका के लिए निर्भर रहते हैं। इनकी

जीविका के लिए आवश्यक जल को उपलब्ध कराने की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी प्रकार खाद्यान्न उत्पादन तथा नकद बिक्री के लिए उगाई जा रही फसलों की सिंचाई की प्राथमिकता में अंतर होना चाहिए।

घरेलू तथा औद्योगिक उपभोग में लाये गये जल को साफ करके कृषि आदि में पुन:प्रयोग किया जा सकता है। जो व्यक्ति दूषित जल को साफ करके पुनः प्रयोग करते हैं उन्हें आपूर्ति में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

इन सब बातों को देखते हुए जल प्रयोग की प्राथमिकताओं के संबंध में हमारे सुझाव निम्नवत् हैं :

(1) पीने का पानी (केवल सार्वजनिक स्थानों पर)

(2) जीविकोपार्जन

(3) खाद्यान्न उत्पादन

(4) घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग जहां प्रदूषित जल साफ करके पुन:प्रयोग किया जा रहा है।

(5) सिंचाई (गैर खाद्यान्न फसलों के लिए)

(6) जल विद्युत् तथा नौसंचालन

1.5 समान नीतियां

प्रारूप की धारा 1.4 में कहा गया है कि देशभर में जल प्रबन्ध समान नीतियों के माध्यम से किया जायेगा। हमारा सुझाव है कि सिद्धान्त समान हो सकते हैं परन्तु उन्हें लागू हर राज्य अपनी तरह से कर सकता है। ये सिद्धान्त निम्नवत् हो सकते हैं राष्ट्रहित, सामाजिक न्याय, टिकाऊपन (सस्टेनेबिलिटी) तथा मानव तथा प्रकृति के जीवन चक्रों में तालमेल। हर स्तर पर स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जनता अपने जल संसाधनों का अपनी स्थिति के अनुरूप प्रयोग कर सके। हर राज्य व ग्राम सभा को अपने भूसांस्कृतिक पारिस्थितिकी के अनुकूल अपनी जल नीति बनाने तथा उसको लागू करने हेतु कानून बनाने की स्वतन्त्रता मिले। राष्ट्रीय जल नीति केवल जल संसाधन मार्गदर्शिका मात्र नहीं होनी चाहिए। वास्तविक तो ग्राम व राज्य की ही जल नीति बननी चाहिए। अर्द्ध सूखे व सूखे क्षेत्रों में पानी की उपयोगिता व

महत्ता में बहुत भिन्नता है। अत: ऐसे प्रदेशों के लिए विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है।

1.6. नदी घाटी संगठन

धारा 4.3 में जल प्रबन्धन को नदी घाटियों में समग्र रूप से करने की बात की गई है। इस कार्य के लिए नदी घाटी संगठन (रिवर बेसिन आर्गेनाइजेशन) बनाये जायेंगे जो कि बहुआयामी (मल्टी-डिसिप्लिनरी) होंगे। हमारा सुझाव है कि इन संगठनों को संघात्मक चुनावों के माध्यम से बनाया जाये। इनके चुनाव क्षेत्र व्यावसायिक आधार पर बनाए जाएं :

(1) किसानों के संगठन।

(2) जंगल तथा चरागाह का उपयोग करने वाले लोग।

(3) पीने के पानी का उपयोग करने वाले लोग।

(4) बड़े उद्योग।

(5) छोटे तथा लघु उद्योग।

(6) अन्य उपयोग जैसे मछुआरे, धोबी, कुम्हार, इत्यादि।

(7) परम्परागत जलसंरक्षक तथा तकनीकी विशेषज्ञ।

जलागम स्तर के चुनाव उपरोक्त चुनाव क्षेत्रों के आधार पर होने चाहिए। जलागम से ऊपर के संगठन का गठन नीचे से प्रत्येक चुनाव क्षेत्र द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिए।

प्रत्येक स्तर के नदी घाटी संगठन को वैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, जिससे वे अपने जल संसाधनों पर नियंत्रण कर सकें। इन्हें स्वायत्त (ऑटोनोमस) काउन्सिलों जैसे अधिकार दिए जाने चाहिए।

1.7 भूमिगत जल

धारा 7.2 में नलकूप पर नियंत्रण की बात की गई है। हमारा सुझाव है कि लाइसेंस प्रणाली लागू करने के स्थान पर नलकूप की अधिकतम गहराई को निर्धारित

करना चाहिए। मूल रूप से यह जिम्मेदारी स्थानीय समाज की होनी चाहिए। यदि स्थानीय समाज भूमिगत जल स्तर को कायम रखने में असफल हो जाए तो उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद ही सरकार द्वारा नियम लागू किए जाएं। उचित भूमिगत जल स्तर का निर्धारण करने के लिए एक स्वतंत्र प्रकोष्ठ बनाया जाय। नलकूप की घोषित अधिकतम गहराई से अधिक गहरे नलकूपों की गहराई को कम किया जाना चाहिए। लाइसेंस प्रथा भ्रष्टाचार का एक रास्ता खोल देगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान नलकूपों से हो रहे अति दोहन पर भी नियंत्रण नहीं हो सकेगा। इसलिए लाइसेंस प्रथा का अनुमोदन नहीं किया जाना चाहिए।

1.8 पीने का पानी

धारा 8 में पीने के पानी को प्राथमिकता दी गई है। साथ-साथ धारा 11 में पानी के मूल्यों को इस प्रकार निर्धारित करने को कहा गया है कि चालू खर्च की पूर्ति हो जाय। हमारा सुझाव है कि सार्वजनिक स्थानों पर पीने का पानी मुफ्त उपलब्ध कराया जाय। निजी सप्लाई पर लोगों की देय क्षमता के अनुरूप ऊँची दरें वसूल की जा सकती हैं।

भाग 3 : सामान्य संस्तुतियाँ

2.1 समाज द्वारा नव प्रयोग

धारा 2.1 में पूरे देश में समान सूचना का अधिकार लागू करने की व्यवस्था है। हमारा सुझाव है कि समाज द्वारा विभिन्न स्थानों पर किंये गये जल प्रबन्धन के प्रयोगों के बारे में भी सूचना एकत्रित की जानी चाहिये। तकनीकी आंकड़ों को जनता को मुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

धारा 25 में केवल तकनीकी अध्ययनों के क्षेत्र बताये गये हैं। इनमें सामाजिक जानकारी जैसे समाज का जल दर्शन, जन सहभागिता, क्षेत्रीय संतुलन, विस्थापन, पलायन, पर्यावरण आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

इन अध्ययनों को स्वतंत्र व्यक्तियों व स्वैच्छिक संगठनों से कराया जाना चाहिए।

2.2 वित्तीय जवाबदेही

धारा 6.7 तथा 22 में परियोजनाओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। राजतन्त्र द्वारा धन के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। हमारे सुझाव निम्न प्रकार हैं :

- सूचना, नीति पुनर्निर्धारण तथा जन सहभागीदारी की नीतियाँ सभी परियोजनाओं में निहित होनी चाहिये।
- योजना बनाते समय संबंधित ग्राम सभाओं के सुझावों को नोट किया जाय तथा जिन कारणों से उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका हो उन्हें सार्वजनिक किया जाय।
- एक स्वतन्त्र जल परियोजना पुनर्मूल्यांकन आयोग बनाया जाय जो पिछले 50 वर्षों में लागू की गई परियोजनाओं की लाभ-हानि का मूल्यांकन करे।
- पाँचवें वेतन आयोग की कार्यकुशलता सुधारने से संबंधित संस्तुतियों को लागू किया जाय।

- सरकारी अधिकारियों के सार्वजनिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाय जिसे उनके व्यक्तिगत रिकार्ड में जोड़ा जाय।
- सिंचाई तथा जल संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए इनामी योजना बनाई जानी चाहिए।

2.3 जल का स्थानान्तरण

धारा 3.4 में जल को एक घाटी से दूसरी घाटी में ले जाना आवश्यक बताया गया है। हमारा सुझाव है कि ऐसे स्थानान्तरण को अन्तिम विकल्प के रूप में स्वीकार करना चाहिये क्योंकि बड़ी परियोजनाओं में प्रबंधन तथा पर्यावरण की समस्याएँ अधिक होती हैं। छोटे तथा बड़े बांधों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिये। किसी भी बड़ी योजना को बनाने के पहले उस नदी घाटी के जल प्रबंधन की एक समग्र योजना बनाई जानी चाहिए। भूमिगत जल भंडारों (एक्वीफर) को भरने हेतु जोहड़/तालाब के माध्यम से जल संग्रहण को प्रोत्साहन देना चाहिये। सूखे क्षेत्रों को अपने सीमित जल संसाधन विकास के साथ-साथ सदुपयोग पर ध्यान देना चाहिये।

धारा 14.3 में नदियों में न्यूनतम जल स्तर को बनाये रखने को स्वीकार किया गया है। हमारा सुझाव है कि साथ-साथ कुछ समय के लिये अधिकतम जल स्तर को भी बनाये रखना चाहिये।

बन्धों को बनाते समय जल का सिल्ट लोड, ढाल, भूमि के प्रकार इत्यादि को पहले देखना चाहिये। यह भी देखना चाहिए कि बंधे बना कर केवल बाढ़ की समस्या को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित तो नहीं किया जा रहा है। प्राकृतिक जल निकास को देखते हुए ही बंधे बनाने चाहिए।

यह भी देखना चाहिए कि जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के स्थान पर क्या जल-आधारित आर्थिक गतिविधियों तथा जनता को उन स्थानों पर जाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है, जहां जल उपलब्ध हो। प्यासे को ही कुएं के पास जाना होता है।

2.4 जल आयोग

जलनीति में नीति के लागू किए जाने के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा सुझाव है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह एक जल आयोग गठित किया

जाय। इस आयोग की जिम्मेदारी होगी कि जलनीति के अनुपालन संबंधी शिकायतों को सुने तथा राष्ट्रपति तथा जनता को वार्षिक रपट प्रस्तुत करे। इससे जनता को जलनीति संबंधी प्रश्न उठाने का एक रास्ता मिल जाएगा।

2.5 वित्तीय उपायों को प्रोत्साहन

धारा 17 में कहा गया है, कि सरकार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में आवास तथा उद्योग पर सख्त नियंत्रण करेगी जिससे जान माल की क्षति कम हो। हमारा सुझाव है, कि नियंत्रण का यह अधिकार केवल बाढ़ की आपात स्थिति में प्रयोग किया जाय। बाढ़ से बचाव के नाम पर बिहार राज्य की तरह बेकार के तटबन्ध नहीं बनायें। नदियों में कम से कम अवरोध पैदा करने पर जोर रहे।

2.6 जल प्रदूषण

धारा 14.2 में व्यवस्था है, कि प्रदूषित जल को निर्धारित मानकों के अनुसार साफ करके ही प्राकृतिक जल धाराओं में डाला जाएगा। इससे यह स्पष्ट नहीं होता, कि साफ कौन करेगा। हमारा सुझाव है, कि स्पष्टतौर पर व्यवस्था की जाए कि यह प्रदूषण फैलाने वाले की ही जिम्मेदारी है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए वित्तीय तरीकों से ऐसी उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए जिनसे प्रदूषण कम फैलता है।

हमारा सुझाव यह भी है कि रोजगार- गहन गतिविधियाँ जिनमें न्यून प्रदूषण होता है उन्हें प्रदूषण मानकों में रियायत देना चाहिए। मूल लक्ष्य मानव कल्याण या मनुष्य का समग्र विकास है। भारी संख्या में रोजगार उत्पन्न होने से मानव विकास भारी मात्रा में होता है तो न्यून मात्रा में प्रदूषण को स्वीकार किया जा सकता है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की तर्ज पर प्रदूषण विवाद अधिनियम बनाया जाय जिसके अंतर्गत प्रभावित व्यक्ति प्रदूषकों के खिलाफ वाद दायर कर सके। वर्तमान में यह अधिकार केवल सरकारी अधिकारियों को उपलब्ध है। आम जनता को प्रदूषणकर्ताओं के प्रदूषण नियंत्रण रिकार्ड देखने की भी छूट होनी चाहिए।

2.7 जल उपयोग की कुशलता

धारा 3.1 में स्प्रिंकलर तथा ड्रिप पद्धतियों का प्रोत्साहन देने को कहा गया है। हमारा सुझाव है कि केवल प्रदर्शन के लिये सरकार सब्सिडी दे। जल मूल्यों को इस

प्रकार निर्धारित करना चाहिये कि किसान स्वयं इन उपकरणों का उपयोग करना लाभकारी पाये।

धारा 16 में जल के सभी उपयोगों में कुशलता बढ़ाने को कहा गया है। हमारा सुझाव है कि जल का उपयोग इस प्रकार होना चाहिये कि पूरी व्यवस्था (सिस्टम) की उत्पादकता बढ़े न कि किसी एक कार्य में जल उपयोग अच्छा हो। जल के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जायें जिससे उन उपयोगों के कारण हुई सामाजिक लाभ-हानि को देखा जा सके। मिर्च तथा अंगूर जैसी अधिक जल उपयोग करने वाली फसलों पर निर्यात कर लगाकर जल का मूल्य वसूल करना चाहिये। हर वाणिज्यिक गतिविधि का जल-आडिट होना चाहिये।

परन्तु जल के मूल्यों को बढ़ाते समय यह भी देखना चाहिए कि किसानों को अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिले। उसके लिए आयातों से संरक्षण तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यों में उचित वृद्धि की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो विश्व व्यापार संगठन की पुन:समीक्षा करनी चाहिए जिससे किसानों को संरक्षण मिल सके।

धारा 12 में जन सहभागीदारी की बात की गई है। जलागम के संदर्भ में हमारा सुझाव है कि सार्वजनिक कार्यों (जैसे तालाब) को प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा निजी कार्यों (जैसे मेड़बंदी) को पूरे देश में तालाब बनाने के बाद ही आर्थिक मदद देनी चाहिये।

2.8 आर्थिक मूल्यांकन

धारा 6.5 तथा 6.6 में परियोजनाओं के आर्थिक मूल्यांकन करते समय कमजोर वर्गों को होने वाले लाभ पर बल दिया गया है। हमारा सुझाव है, कि सभी सार्वजनिक अप्रत्यक्ष तथा दीर्घकालीन लाभ-हानि का मूल्यांकन करना चाहिए जैसे भूमि की उत्पादकता, दूसरे देशों पर परावलंबन, परिवारों का विघटन इत्यादि। जिन प्रभावों का आर्थिक मूल्यांकन संभव न हो उनके लिये आर्थिक मूल्यांकन के साथ सामाजिक मूल्यांकन अलग से करना चाहिये। यह मूल्यांकन केवल एक परियोजना का नहीं बल्कि अनेक योजनाओं का मूल्यांकन करके ही सर्वश्रेष्ठ योजना को स्वीकार करना चाहिए।

2.9 नहर

धारा 7.3 में नहर क्षेत्रों में साथ-साथ नलकूप के उपयोग को प्रारंभ से लागू करने को कहा गया है जिससे जल जमाव न हो। धारा 9.6 में जल जमाव के क्षेत्रों में वैज्ञानिक तकनीकों से भूमि सुधार की बात की गई है। हमारा सुझाव है, कि इन कार्यों के लिये सरकार आर्थिक मदद न दे। इन समस्याओं को जल आपूर्ति (वाटर अलाउंस) को नियन्त्रित करके तथा बाराबंदी लागू करके समाप्त किया जाना चाहिए।

साथ-साथ प्राकृतिक जल निकास की धाराओं को पुनर्जीवित करना चाहिए। नहर क्षेत्रों में जल के उचित उपयोग को निश्चित करने के लिए बाराबंदी कानून बनाना चाहिए। ऐसे स्थानों पर नहर के पानी के बजाय भूमिगत जल का प्रयोग भी किया जाना चाहिए।

हमारा मानना है, कि मूल रूप से नहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या पृथ्वी की ग्रहण शक्ति से अधिक जल प्रयोग के कारण उत्पन्न होती है।

2.10 सूखा

धारा 3.1 में जल उपलब्धता बढ़ाने के कार्यों में जल संग्रहण कार्यों तालाब आदि का समावेश नहीं किया गया है। इन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिये। धारा 19.1 में भूमिगत नमी बनाये रखने तथा जल संग्रहण की बात की गई है। हमारा सुझाव है, कि साथ-साथ हर क्षेत्र की परंपरागत विधियों जैसे फसल चुनाव को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि हर क्षेत्र को जल से परिपूर्ण किया जाय। विधि के विधान के अन्तर्गत जीवन की गुणवत्ता को सुधारना चाहिये।

हमारा सुझाव यह भी है कि जल संग्रहण कार्य के लिये सिंचाई विभाग को विशेष ध्यान देना चाहिए। अब इस विभाग का उद्देश्य जल संरक्षण बनाना चाहिए, इसी में समाज आधारित सिंचाई बढ़े, ऐसा प्रयास होना चाहिए।

2.11 बाढ़

धारा 17 में बाढ़ नियंत्रण के लिये पूर्वानुमान तथा जोनिंग पर जोर दिया गया है। हमारा सुझाव है, कि बाढ के कारणों को दूर करना चाहिये। विशेषकर सड़क, रेल तथा आवास के कारण प्राकृतिक जल निकास पर अवरोधों को समाप्त करना चाहिये।

धारा 17 में बाढ़ नियंत्रण के लिये जलागम पर जोर दिया गया है। हमारा सुझाव है, कि गैर जलागम जल संग्रहण को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। मुख्य बात जल संग्रहण है न कि जलागम। साथ-साथ हर क्षेत्र की बाढ़ बचाव संबंधी परंपराओं का अध्ययन कर उन्हें पुनर्जीवित करना चाहिए।

2.12 बंद नदी घाटियाँ

देश का एक बड़ा इलाका ऐसा है, जिससे वर्षा का जल क्षेत्र से बाहर बह कर नहीं जाता है। नदियों, नालों अथवा मरु भूमि में ही जल भूमिगत हो जाता है। इन क्षेत्रों में जल ग्रहण विकास कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि उस स्थान पर भूमिगत जल बढ़ता है, वृक्षारोपण करना चाहिए। जल संग्रहण तो प्रकृति स्वयं कर रही है। जल संग्रहण उन खुली घाटियों में किया जाना चाहिए जहां वर्षा का जल समुद्र में भारी मात्रा में बह कर चला जाता है।

2.13 महिलाओं पर प्रभाव

प्रारूप में महिलाओं के दृष्टिकोण को नहीं देखा गया है। हमारा सुझाव है कि जल प्रबंधन में इस पक्ष को भी ध्यान में रखा जाय। भारत में जल व महिला संबंध को समझ कर ही जल नीति बननी चाहिए। इस विषय की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है।

2.14 जल रजिस्टर

हमारा सुझाव है कि हर स्तर के जल संबंधी कार्यों को एक वैधानिक रजिस्टर में दर्ज़ किया जाय जिससे सभी को मालूम रहे कि किस वर्ष में कहाँ क्या कार्य किया गया है। इससे अनेक विभागों के बीच तालमेल बढ़ेगा तथा कार्यों का मूल्यांकन करने में सुविधा होगी।

धन्यवाद।

★★★★